

विज्ञप्ति

शासन के पत्र सं०-डी०-2003/सात-न्याय-3-2020-34 (फतेहपुर)/14 दिनांक 22.12.2020 के अनुपालन में शासकीय अधिवक्ता की नियुक्ति/आबन्धन हेतु निम्न पद हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

1-जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) 01 (एक) पद

उपरोक्त पद हेतु प्रस्ताव/पैनल शासन को भेजा जाना है। उपरोक्त पद हेतु आवेदन पत्र दिनांक-20.01.2021 को सायंकाल 5:00 बजे तक मेरे कार्यालय में न्याय सहायक के पटल पर प्राप्त हो जाने चाहिये। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त पद हेतु निर्धारित योग्यता/शर्तें निम्नवत् होंगी।

1. जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) पद के लिये 10 वर्ष का विधि व्यवसाय का अनुभव होना आवश्यक है।
2. आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक की न हो।
3. पहले से किसी सरकारी/गैर सरकारी वैतनिक/अवैतनिक पद पर कार्यरत् या किसी कालेज में पूर्णकालिक प्रवक्ता, शपथ आयुक्त, नोटरी, विवाह अधिकारी, एमीकसक्यूरी आदि पद धारकों को नियुक्ति/आबन्धन के पश्चात् उपरोक्त पद से त्याग-पत्र देना होगा, तथ्य छिपाने की दशा में नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
4. नियुक्ति/आबन्धित किये गये शासकीय अधिवक्ता को शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन करना होगा, जिसके लिये शासन द्वारा अनुमन्य फीस देय होगी।
5. उपरोक्त पद हेतु नियुक्ति/आबन्धन हेतु शासन प्राधिकृत है, जिसे विना कारण बताये आबन्धन समाप्त करने का अधिकार होगा।
6. पूर्व शासकीय अधिवक्ता भी उक्त रिक्त पद हेतु आवेदन कर सकते हैं।
7. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर (प्रारूप क तथा ख) में देना होगा आवेदन-पत्र के साथ में आवेदक को अपने नाम और ऐसे विवरण देने होंगे जिसमें आयु (प्रमाण-पत्र) सहित विधिज्ञ वर्ग संस्था (बार) में किये गये विधि व्यवसाय की अवधि, हिन्दी में प्राप्त योग्यतायें, पिछले तीन वर्षों में विधि व्यवसाय पर उनके द्वारा अदा किये गये आयकर की धनराशि और यदि आयकर न लगाया गया हो तो उनके द्वारा भेजी गयी आयकर की विवरणी तथा दो वर्षों के दौरान उनके द्वारा किये गये कार्यों का न्यायालय द्वारा सत्यापित विवरण प्रस्तुत करना होगा तथा यह भी सूचित किया जाये कि उनके द्वारा राजस्व सम्बन्धी विधि कार्य किया गया है।
8. आवेदक को सम्बन्धित पद के अनुरूप विधि व्यवसाय का अनुभव होना आवश्यक है। तदनुसार दो वर्ष का सम्बन्धित विधि व्यवसाय का अनुभव प्रमाण-पत्र न्यायालय द्वारा सत्यापित कर आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है।
9. आवेदन-पत्र में अंकित विवरण की पुष्टि में यथा वांछित प्रमाण-पत्र सत्यापित संलग्न किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त आवेदन प्रारूप में यदि कोई आवश्यक विवरण जो योग्यताओं में सम्मिलित हो उसे देने से छूट गया हो तो उसे विशेष विवरण में दर्शाया जाये।
10. आवेदन-पत्र का प्रारूप कार्यदिवस में न्याय सहायक कलेक्ट्रेट से प्राप्त किया जा सकता है।
11. समीप के जिलों के जिला सरकारी अधिवक्ता और विधि व्यवसायी भी उपरोक्त पदों हेतु अपने जिले के जिलाधिकारियों के माध्यम से अपेक्षित विवरण भेज सकते हैं, जो उन्हें उस जिले के जिलाधिकारी को अपनी ऐसी अभ्युक्ति सहित, जो वे उपयुक्त समझें, भेज देंगे जिसमें नियुक्ति/ आबन्धन किया जाना है।
12. आवेदन तीन प्रतियों में देय होगा। आवेदन-पत्र अपूर्ण/अस्पष्ट होने पर स्वतः निरस्त माना जायेगा।

(अपूर्वा दुबे)

जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर

संख्या 650 / वीस-विविध/शा०अधि०नि०/2021/जे०ए०

दिनांक 04-01-2021

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1-मा० जनपद न्यायाधीश फतेहपुर।

2-जिलाधिकारी, इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, बॉदा, हमीरपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, रायबरेली।

3-समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार जनपद फतेहपुर को तहसील स्थित नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

4-जिला सूचनाधिकारी फतेहपुर को दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रचार प्रसार हेतु।

5-अध्यक्ष/मंत्री जिला बार एसोशियेशन फतेहपुर।

6-सेन्ट्रल नाजिर, सिविल कोर्ट, फतेहपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।

7-नाजिर सदर कलेक्ट्रेट फतेहपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।

(अपूर्वा दुबे)

जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर।